

न्यायालय:- पी.सी. आर्य, विशेष न्यायाधीश, डकैती गोहद जिला भिण्ड

डकैती प्रकरण क्रमांक: 20/2015

संस्थित दिनांक-07/11/2008

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----प्रत्यर्थी/अभियोगी

### वि रू द्ध

- 1- रूपा उर्फ रूपसिंह पिता कालीचरण धोबी, उम्र 28
- 2- दिलीप पिता गजेन्द्र सिंह गुर्जर उम्र 37 साल  
निवासीगण ग्राम माहो थाना मालनपुर .....उपस्थित आरोपीगण
- 3- पप्पू उर्फ माताप्रसाद पिता धनीराम शर्मा,  
उम्र 50 साल निवासी ग्राम माहो .....फरार आरोपी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक  
आरोपी रूपा उर्फ रूपसिंह द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधि.  
आरोपी दिलीप द्वारा श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता।

### -::- आ दे श -::-

(आज दिनांक 13 अक्टूबर, 2015 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. इस आदेश के द्वारा आरोप संबंधी निराकरण किया जा रहा है ।
2. आरोप के संबंध में विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री बी.एस. बघेल द्वारा अपने तर्कों में यह व्यक्त किया है कि आरोपीगण के द्वारा पुलिसकर्मी जो लोक सेवक की हैसियत से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था उसपर जान से मारने की नीयत से कटटे से फायर किया जिससे एक पुलिसकर्मी की छाती में गोली लगी और दूसरे के हाथ की अंगुली में चोट आयी। इसलिये धारा-307, 34 भा0द0वि0 धारा-09 डकैती अधिनियम के तहत विचारण आरोप विरचित कर किया जाये । आरोपीगण की ओर से उनके विद्वान

अधिवक्ताओं ने विशेष लोक अभियोजक के तर्कों का खण्डन करते हुए मूलतः यह तर्क किया है कि प्रकरण में अभियोजन कथानक मुताबिक पुलिसकर्मी पर कटटे से फायर करने का अपराध बताया गया है और जान से मारने की नीयत से फायर करना बताया गया है इसलिये ज्यादा से ज्यादा केवल धारा-307 भादवि. का ही अपराध का आरोप बन सकता है । डकैती अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है इसलिये मामला आरोपीगण को उन्मोचित कर समाप्त किया जावे ।

3. उभयपक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर चिन्तन मनन किया गया, मूल अभिलेख जिसमें पुलिस द्वारा प्रस्तुत अभियोगपत्र एवं दस्तावेजों, व तथ्य परिस्थितियों का चिन्तन मनन किया गया । अभियोगपत्र के साथ संलग्न एफ आई आर, नक्शा मौका, साक्षियों के पुलिस कथनों मेडीकल रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । कथानक मुताबिक जो घटना बतायी गयी है उसमें मूलतः दिनांक-25/5/200 को शाम करीब 7:45 बजे जब थाना मालनपुर में पदस्थ प्रधान आरक्षक क्रमांक-75 धरम सिंह एवं आरक्षक रामकुमार क्र.-846 मोटरसाइकिल से औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में गश्त कर रहे थे और गश्त करते हुए दोनों हॉटलाइन फैक्ट्री के पीछे लेहचूरा रोड के पास पहुंचे थे तब एक लाल रंग की मोटरसाइकिल टी.बीएस. स्टार सिटी पर पुलिस के पास तीन व्यक्ति उन्हें बैठे दिखे जिनमें से पप्पू पण्डित कटटा लिये था, रूपा धोबी डण्डा लिये थे और दिलीप मोटरसाइकिल पर आगे बैठा था जो सभी ग्राम माहो के रहने वाले थे जिनको वे पहले से जानते थे क्योंकि वे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं । जैसे ही वे खड़ी हुई मोटरसाइकिल के पास पहुंचे तो पप्पू ने जान से मारने की नीयत से उनपर फायर कर दिया । धर्मसिंह प्र.आर. मोटरसाइकिल चला रहा था और रामकुमार पीछे बैठा था तो धरमसिंह के दाहिने ओर सीने में और रामकुमार के दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में चोट आकर खून निकला । पकड़ने की कोशिश करने

पर तीनों मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गये । फिर दोनों पुलिसकर्मी वापिस थाने आये और प्र.आर. धरमसिंह ने रिपोर्ट लिखायी जिसपर से आरोपीगण के विरुद्ध धारा-307, 34 भादवि के अंतर्गत अप.क्र. -54/2008 पंजीबद्ध किया गया, दोनों का मेडीकल कराया गया। घटना का नक्शामौका, मेडीकल परीक्षण, चिकित्सक की सलाह पर एक्सरे परीक्षण तथा आरोपीगण की मोटरसाइकिल धरमसिंह द्वारा थाने पर पेश करने पर उसकी जब्ती की गयी और रूपा व दिलीप गूजर की गिरफ्तारी की गयी, पूछताछ कर रूपा का मेमोरेण्डम कथन लिया। पप्पू पण्डित फरार हो गया।

4. अनुसंधान के दौरान थाना मुरार जिला ग्वालियर म.प्र. में दि. -21/6/2008 को धारा-399, 400, 402 भादवि. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट, 11, 13 डकैती अधिनियम के अंतर्गत आरोपी रूपा उर्फ रूपसिंह धोबी के साथ कैलाश जाटव, बंटी उर्फ राकेश गूजर, बंटी पुत्र कुन्दन कोरी, दीवान उर्फ किटी जाटव के विरुद्ध पंजीबद्ध होने से उसके आधार पर तथा रूपा उर्फ रूपसिंह के धारा-27 साक्ष्य अधिनियम के तहत लेखबद्ध ज्ञापन में यह तथ्य बताये जाने से कि पप्पू पण्डित ने पुलिस के दीवानजी व सिपाही पर कटटे से फायर किया था, उसके आधार पर थाना मालनपुर के प्रकरण से संबंधित अपराध क्र.-54/2008 में धारा-11, 13 डकैती अधिनियम के तहत इजाफा करते हुए अभियोगपत्र विचारण हेतु विशेष डकैती न्यायालय भिण्ड में पेश किया गया था। जहां से अंतरित होकर इस न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है।

5. प्रकरण में अभियोगपत्र के साथ आरोपीगण के आपराधिक रिकॉर्ड को संलग्न कर पेश नहीं किया गया है तथा जिस कटटे के संबंध में थाना मुरार ग्वालियर में पंजीबद्ध अपराध के आधार पर विचाराधीन प्रकरण में म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा-11, 13 का इजाफा किया गया है, उसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि लूट डकैती की योजना बनाते समय अवैध आग्नेयशस्त्र रखने के कारण थाना मुरार ग्वालियर में अपराध

पंजीबद्ध हुआ, वह वर्तमान प्रकरण की घटना से कड़ी के रूप में प्रथम दृष्टया ही नहीं जुड़ता है तथा जो अभियोगपत्र के साथ दस्तावेज व सामग्री पेश की गयी है उसमें ऐसे कोई भी साक्ष्य या तत्व नहीं है जो कि आरोपीगण को डाकू की श्रेणी में लाती हो, क्योंकि कथानक में मूलतः केवल जान से मारने की नीयत से पप्पू पण्डित का फायर किया जाना, विचाराधीन आरोपियों का उसके साथ होना, किया गया फायर प्र.आर. धरमसिंह को सीने में व आरक्षक रामकुमार की हाथ की अंगुली में लगने की साक्ष्य संकलित की गयी है, जिससे अधिकतम मामला धारा-307 भा0द0वि0 की परिधि के अंतर्गत ही आता है, डकैती अधिनियम के प्रमाण के लिए आवश्यक अवयव प्रकट नहीं होते हैं क्योंकि एम.पी.डी.व्ही.पी.के. एक्ट 1981 की धारा-2 ख में डाकू शब्द को परिभाषित करते हुए यह उपबंध किया गया है कि किसी डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र के संबंध में “डाकू से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई ऐसा अपराध, जो भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का संख्या-45) की धारा-39 के अधीन दण्डनीय है, या कोई ऐसा विनिर्दिष्ट अपराध करता है या जिसने कोई ऐसा अपराध किया है या यथास्थिति कोई ऐसा व्यक्ति जिसपर किसी ऐसे अपराध के लिए किए जाने का अभियोग लगाया गया है।”

6. भादवि. 1860 की धारा-39 के मुताबिक—“ कोई व्यक्ति किसी परिणाम को “स्वेच्छया” कारित करता है, यह तब कहा जाता है, जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है, जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था या उन साधनों द्वारा कारित करता है, जिन साधनों को काम में लाते समय यह जानता था, या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है । ”

7. डकैती अधिनियम की धारा-02 (च) “ विनिर्दिष्ट अपराध” अभिप्रेत है—

(एक)— अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध जो धारा-3 के

अधीन घोषित क्षेत्र के संबंध में किया गया हो और जो डकैती या व्यपहरण किए जाने से का भागरूप हो या उससे उद्भूत होता हो या उससे संसक्त हो ;

(दो) कोई ऐसा अपराध जिसके लिए इस अधिनियम की धारा-9, 11 और 12 के अधीन दण्ड का उपबंध किया गया ;

{(तीन) भारतीय दण्ड-संहिता, 1860 (1860 का सं.45) की धारा-212, 216, 216-क, 311, 347, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402 तथा 412 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध जो धारा-3 के अधीन घोषित किए गये किसी क्षेत्र के संदर्भ में किया गया हो ; और उसके अंतर्गत उपखण्ड (एक), (दो) और (तीन) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध का दुष्प्रेरण या ऐसी किसी अपराध के किए जाने का प्रयत्न आता है;}

(छ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयोग में लाई गई हैं किन्तु परिभाषित नहीं की गयी हैं और जो संहिता में परिभाषित की गयी हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके लिए संहिता में या यथास्थिति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं.45) में दिये गये हैं।

#### 8. डकैती अधिनियम की धारा-09 के अंतर्गत-

लोक सेवक के विरुद्ध अपराधों के लिए दण्ड- कोई डाकू जो एक से अधिक व्यक्तियों की हत्या करता है, {या किसी लोक सेवक के शरीर (या संपत्ति) के विरुद्ध या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के शरीर या संपत्ति के विरुद्ध कोई विनिर्दिष्ट अपराध करता है,} वह,-

(क) यदि ऐसा अपराध भारतीय दण्ड संहिता (1860 का सं. 45) के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय है, उसी दण्ड से दण्डित किया जायेगा जो उस अपराध के लिए भारतीय दण्ड संहिता (1860 का सं. 45) में उपबंधित है ; और

(ख) अन्य मामलों में, कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

#### 9. इस प्रकार उपरोक्त संबंधित प्रावधानों को देखते हुए विचाराधीन प्रकरण में आरोपीगण के डाकू की परिधि में प्रथम दृष्टया ही परिलक्षित न होने से एवं विचाराधीन मामले में कोई अवैध



आग्नेयशस्त्र के संबंध में कोई भी आक्षेप अभियोजन की ओर से न किए जाने न आग्नेयशस्त्र की इस अपराध में जब्ती होने से, न ही धारा-25 (1-बी)(ए) आयुध अधिनियम 1959 का कोई अपराध पंजीबद्ध होने से प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध धारा-11, 13 डकैती अधिनियम या उक्त विशेष अधिनियम के अंतर्गत कोई भी आरोप बनना प्रथम दृष्टया ही प्रतीत नहीं होता है । अतः आरोपीगण को धारा-11, 13 डकैती अधिनियम 1981 के अपराध से उन्मोचित करते हुए धारा-307 सहपठित धारा-34 भादवि. के अंतर्गत ही प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है । और चूंकि धारा-307 सहपठित धारा-34 भादवि. के अंतर्गत अभियोगपत्र सीधे विशेष डकैती न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है बल्कि वह विधिवत धारा-209 द.प्र.सं. के अंतर्गत उपार्पित होकर प्राप्त होने पर ही विचारण में लिया जा सकता है । इसलिये इस विशेष न्यायालय डकैती, गोहद में उक्त मामले का विचारण नहीं हो सकता है। इसलिये उक्त प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए थाना प्रभारी मालनपुर को विधिवत वापिस किया जाता है।

10. थाना प्रभारी मालनपुर, आरोपीगण को संबंधित सक्षम न्यायालय में विधिवत सूचना देकर अभियोगपत्र प्रस्तुत करें और आरोपीगण सूचना के अनुपालन में संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत रहें, इस निर्देश के साथ अभियोगपत्र व संलग्न दस्तावेजों को पंजी में परिणाम दर्ज कर वापिस किए जाएं । शेष पत्रावली विधिवत अभिलेखागार में संचित हो ।

दिनांक: 13 अक्टूबर 2015

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)  
विशेष, न्यायाधीश, डकैती  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)  
विशेष न्यायाधीश, डकैती  
गोहद जिला भिण्ड